

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्या दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

अधीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता एएस
मूल वाद संख्या :- 057/2023

भंवरलाल पुत्र पालाराम जाति विश्णोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. पालाराम पुत्र मनीराम जाति विश्णोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
2. बंशीलाल पुत्र पालाराम जाति विश्णोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
3. कलावती देवी पत्नी पालाराम जाति विश्णोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए.घोषणा, खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 02.09.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री
करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.09.2024 को स्वाति गुप्ता एएस
एएस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निष्पत्तरे

के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी भंवरलाल को प्राप्त आराजी :- बक नम्बर 4 एफ.टी.पी. के पत्थर नम्बर
206/237(20) किला नम्बर 14 पत्थर नम्बर 205/236(6) किला नम्बर 14/
0.226, 15/0.225 हैक्टर उत्तरी दिशा।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 बंशीलाल को प्राप्त आराजी :- बक नम्बर 4 एफ.टी.पी. के पत्थर
नम्बर 206/237(20) किला नम्बर 7/1/0.240, 7/2/0.013 हैक्टर गैरमुमकिन
रास्ता, पत्थर नम्बर 205/236(6) किला नम्बर 14/0.027, 15/0.028, 16/1/0.
198, 17/1/0.198 हैक्टर।

(ग) वादी भंवरलाल व प्रतिवादी संख्या 2 बंशीलाल को बहिष्कृत प्राप्त आराजी :- बक
नम्बर 4 एफ.टी.पी. के पत्थर नम्बर 206/237(20) किला नम्बर 17, 24 पत्थर नम्बर
206/238(31) किला नम्बर 4, 7

उपरोक्त अनुसार खारोवार काश्तकार धारित किये जाकर उपरोक्त अनुसार वादी की आराजी का खाता तकरीम कर मुताबिक तकरीम रकम सज अलग से कायम करने तथा चक नम्बर न एफ.टी.पी. के खाता संख्या 66/47 में से प्रतिवादी संख्या 1 पालाराम का नाम कलमजान करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बासानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चो फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



मुहर

(स्वाति गुप्ता)
 उपखण्ड अधिकारी एवम्
 उपदेस सहायक कलेक्टर
 पटन महल
 टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रुपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---